बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधि०सं० :—2/अ०प्र०—4—125/2015(खण्ड) 2458 /पटना, दिनांक :—30.12.2020

लोकायुक्त कार्यालय में दर्ज वाद संख्या—1/लोक(ग्रा0 कार्य वि0) 32/2010 में माननीय लोकायुक्त, बिहार, पटना द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में श्री मनोज कुमार पाठक, तदेन सहायक अभियंता के विरूद्ध कार्य प्रमंडल—2, बक्सर अन्तर्गत पदस्थापन काल में चौसा लाईन नहर से बन्नी बाजार तक पथ मरम्मति कार्य, राजपुर प्रखंड में बावन बाँध पुल निर्माण कार्य एवं चौसा प्रखंड में बहादुरपुर कब्रिस्तान के घेराबंदी कार्य में अनियमितता के आरोपों पर आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय पत्रांक 1133 अनु0 दिनांक 05.04.2016 द्वारा स्पष्टीकरण पूछ कर अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की गयी।

2. श्री पाठक के विरूद्ध प्रथम योजना (चौसा लाईन नहर से बन्नी बाजार तक पथ मरम्मति कार्य) से संबंधित दो आरोप गठित है। आरोप सं0—1(i), पथ के ग्रेड—2 एवं ग्रेड—3 की मोटाई प्रावधानित मोटाई से 15.55 m.m. कम पाये जाने एवं आरोप सं0—1(ii), पथ के Shoulder एवं Slope में कम मिट्टी का कार्य कराकर अधिक मिट्टी कार्य का भुगतान किये जाने से संबंधित है। दूसरे योजना (राजपुर प्रखंड में बावन बाँध पुल निर्माण कार्य) से संबंधित तीन आरोप गठित है। आरोप सं0—2(i), Foundation की प्रावधानिक मुटाई को कम कर पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर उसकी भरपाई करने की हेरा—फेरी करने, आरोप सं0—2(ii), पुल के abutment में प्रयुक्त Cement plaster की गुणवत्ता प्राक्कलन के अनुरूप नहीं पाये जाने एवं आरोप सं0—2(iii), पुल के दोनों तरफ बने पहुँच पथ में प्रयुक्त Cement concrete की गुणवत्ता प्रावधान के अनुरूप नहीं पाये जाने से संबंधित है। तीसरी योजना (चौसा प्रखंड में बहादुरपुर कब्रिस्तान के घेराबंदी कार्य) से संबंधित एक आरोप गठित किये गये, जो 3(i) के रूप में चहारदीवारी के stiffner एवं plaster के कार्य में कम सिमेंट का प्रयोग कर खराब गुणवत्ता का कार्य कराये जाने से संबंधित है।

3. श्री पाठक के विरूद्ध उक्त आरोपों पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम—17 के तहत विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक—1137 अनु0दिनांक 05.04.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त श्री रामजी चौधरी, मुख्य अभियंता—3 को संचालन पदाधिकारी एवं श्री उज्जवल कुमार सिंह, सहायक अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया।

4. श्री रामजी चौधरी, मुख्य अभियंता—3 का स्थानान्तरण अन्यत्र हो जाने के कारण श्री पाठक के विरूद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री रामजी चौधरी के स्थान पर संचालन पदाधिकारी के रूप में श्री कमलेश चौधरी, मुख्य अभियंता—3 को नामित किया गया।

5. श्री कमलेश चौधरी, मुख्य अभियंता—3—सह—संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 390 अनु0 दिनांक 23.01.2017 के माध्यम से श्री पाठक के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री पाठक के विरूद्ध गठित सभी आरोपों को योजनाओं की जाँच मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, तकनीकी परीक्षक कोषांग के पत्रांक 1389 दिनांक 16.09.1994 एवं पत्रांक 1045 दिनांक 06.07.1992 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं किये जाने के आलोक में अप्रमाणित पाये जाने का मंतव्य दिया गया।

6. श्री पाठक के संदर्भ में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में आरोप संख्या—1(i), आरोप सं0—2 (ii) एवं 2 (iii) तथा आरोप सं0—3 (i) के संबंध में संचालन पदाधिकारी द्वारा दिये गये मंतव्य से

असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक 863 दिनांक 18.04.2018 द्वारा श्री पाठक से असहमति के बिन्दू पर द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

7. श्री पाठक से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान दिनांक 11.6.2018 में मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है कि मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, तकनीकी परीक्षक कोषांग के पत्रांक 1389 दिनांक 16.09.1994 में उल्लेखित दिशा–निर्देश पथ क्रस्ट के मुटाई मापने से संबंधित है। तकनीकी परीक्षक कोषांग निगरानी विभाग का एक अंग है, जिसके स्तर से निर्गत किये गये परिपत्र सभी कार्य विभागों में मान्य है। ग्रामीण कार्य विभाग के आदेश संख्या–66 दिनांक 03.10.2010 में भी पथ क्रस्ट की मोटाई मापने एवं जॉच हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है। संबंधित आरोप आरोप संख्या–2 (ii), 2 (iii) एवं 3 (i) निर्माण कार्य की गुणवता से संबंधित है। तकनीकी परीक्षक कोषांग का पत्रांक 1045 दिनांक 06.07.1992 में स्पष्ट रूप से प्रावधानित है कि गुणवता जॉच किस प्रकार की जाय। योजनाओं की जॉच उक्त दिशा–निर्देश के आलोक में नहीं की गयी है। तकनीकी परीक्षक कोषांग द्वारा निर्गत किये गये दिशा–निर्देश से असहमति के बिन्दु का तकनीकी एवं वैधानिक आधार नहीं है।

8. श्री पाठक के द्वितीय बचाव बयान की समीक्षा की गयी और समीक्षोपरान्त पाया गया कि आरोप संख्या– 1(i) से संबंधित पथ के मरम्मति कार्य की तकनीकी परीक्षक कोषांग द्वारा 0 से 1800 मी0 लंबी पथ में 11 स्थानों पर पथ को खोदकर ग्रेड–2 एवं ग्रेड–3 एवं प्रिमिक्स की मोटाई की जॉच की गई। गणना के बाद औसत प्रिमिक्स की मोटाई 18.81 एम0एम0 पाया गया जो प्रावधानित 20 एम0एम0 से कम है। प्रावधानित ग्रेड–2 + ग्रेड–3 (75एम0एम0+75एम0एम0= 150 एम0एम0) के जगह स्थल जॉच में औसत 134.45 एम0एम0 पाया गया। मापीपुस्त के अनुसार 20 एम0एम0 मोटाई में प्रिमिक्स का भुगतान किया गया तथा ग्रेड–2 एवं ग्रेड–3 में 150 एम0एम0 मुटाई का भुगतान किया गया। इस प्रकार 1.19 एम0एम0 अधिक मोटाई के प्रिमिक्स का भुगतान किया गया तथा 15.55 एम0एम0 अधिक मोटाई के ग्रेड–2 + ग्रेड–3 का भुगतान किया गया।

आरोप संख्या–2 (ii), 2 (iii) से संबंधित पुल की तकनीकी परीक्षक कोषांग के प्रयोगशाला में स्थल से प्राप्त कंक्रीट की गुणवता की जॉच प्रतिवेदन में Proportion of mix 1:4.81:5.76 पाया गया, जो प्रक्कलन में प्रावधानित एवं माप पुस्त में अंकित (1:2:4) के अनुरूप नहीं है। Plaster की गुणवता Proportion of mix 1:5.6 पाया गया, जो प्राक्कलन में प्रावधानित एवं मापी पुस्त में अंकित (1:4) के अनुरूप नहीं है।

आरोप संख्या–3 (i) से संबंधित कब्रिस्तान के घेराबंदी कार्य में प्रयुक्त Concrete एवं प्लास्टर की गुणवता की तकनीकी परीक्षक कोषांग के प्रयोगशाला से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में Proportion of mix क्रमशः 1:7.39:9.74 एवं 1:11.37 पाया गया, जो प्रक्कलन में प्रावधानित एवं माप पुस्त में अंकित क्रमशः 1:2:4 एवं 1:6 के अनुरूप नहीं है।

उक्त तथ्यों के आलोक में श्री पाठक का द्वितीय बचाव बयान अस्वीकार योग्य पाया गया।

9. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री पाठक के द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए उन्हें बिहारी सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)(संशोधन) नियमावली, 2007 के नियम–14(Vii) के तहत कालमान वेतन में दो (02) निम्नतर प्रक्रम पर अवनति की शास्ति अधिरोपित किये जाने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

28/12/2020

10. श्री पाठक के विरूद्ध उक्त विनिश्चित् दण्ड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 1000 अनु0 दिनांक 28.05.2020 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की मांग की गयी, जिसके आलोक में आयोग के पत्रांक 2164 दिनांक 24.11.2020 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर आयोग की सहमति संसूचित की गयी है।

अतः उक्त के आलोक में श्री मनोज कुमार पाठक, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-2, बक्सर सम्प्रति सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1, समस्तीपुर के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)(संशोधन) नियमावली, 2007 के नियम 14 (Vii) के तहत कालमान वेतन में दो (02) निम्नतर प्रक्रम पर अवनति की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

28/12/2020

(संजय दूबे)
अपर सचिव

ज्ञापांक :- 2/अ0प्र0-4-125/2015(खण्ड) 2459 /पटना, दिनांक :- 30-12-2020

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार ,पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित।

28/12/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :- 2/अ0प्र0-4-125/2015(खण्ड) 2459 /पटना, दिनांक :- 30-12-2020

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचंद पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार पटना/कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/12/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :- 2/अ0प्र0-4-125/2015(खण्ड) 2459 /पटना, दिनांक :-30-12-2020

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 2164 दिनांक 24.11.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

28/12/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–4–125/2015(खण्ड) 2459 /पटना, दिनांक :– 30.12.2020

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अचंल, समस्तीपुर /कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, समस्तीपुर /प्रशाखा पदाधिकारी–5, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई0टी0 मैनेजर/ श्री मनोज कुमार पाठक, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल–2, बक्सर सम्प्रति सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/12/2020

अपर सचिव